दिनांक-24जनवरी2020

स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छ एवं सुदर भिलाई

उड़नदस्ता की टीम ने 12 पैकेट डिस्पोजल ग्लास जप्त कर लगाया 1000 रुपये जुर्माना, गंदगी फैलाने पर वसूला 500 रुपए

भिलाईनगर/ नगर निगम की उड़नदस्ता की टीम ने आज चन्द्रनगर कोहका, वार्ड 20 गौरव पथ, वार्ड 14, ट्रांसपोर्ट नगर, छावनी चौक, इंडस्ट्रीज एरिया शंकर नगर सहित निगम के विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले व्यवसासियों से अनुज्ञप्ति, व गुमास्ता लाइसेंस, प्रतिबंधित प्लास्टिक डिस्पोजल तथा सड़क बाधा कर व्यवसाय करने वालों का निरीक्षण कर कार्यवाही करते हुए 10,500 रूपए का अर्थदण्ड की वसूली की। निगम क्षेत्रांर्गत विभिन्न व्यापारियों द्वारा व्यवसाय हेतु गुमास्ता लाईसेंस नहीं होने पर उनके खिलाफ कार्यवाही करते हुए जुर्माना वसूला गया तथा उड़नदस्ता की टीम ने निगम क्षेत्र का सघन दौरा कर बाजार क्षेत्र में गंदगी फैलाने वालों को समझाइश दी। नगर पालिक निगम , भिलाई की उड़नदस्ता टीम ने चन्द्रनगर कोहका, वार्ड 20 गौरव पथ, वार्ड 14, ट्रांसपोर्ट नगर, छावनी चौक के अंतर्गत किराना दुकान , बाजार, बिना लाइसेंस व्यवसाय करने वालों का निरीक्षण करते हुए कार्यवाही की! इंडियन आॅयल पेट्रोल पंप जवाहर नगर के पास सर्विस रोड पर करीब 6 ट्रेलर खड़े थे जिसे टीम ने तत्काल हटाने के लिए कहा। निगम की उड़नदस्ता टीम ने ओम मोर्टस , ट्रांसपोर्ट नगर छावनी चौक से गुमास्ता नहीं होने पर 2000 रूपए, फोरमेन किराना स्टोर्स इंडस्ट्रीज एरिया के पास गुमास्ता लाइसेंस नहीं होने पर 1000 रूपए, भानू किराना स्टोर्स इंडस्ट्रीज एरिया के यहां से 12 पैकेट प्लास्टिक डिस्पोजल जप्त करते हुए 1000 रूपए, ओम प्रकाश साहू होटल संचालक इंडस्ट्रीज एरिया के द्वारा गंदगी फैलाने पर 500 रूपए, अग्रसेन ट्रेडर्स चन्द्रनगर कोहका के पास अनुज्ञप्ति लाइसेंस नहीं होने पर 2000 रूपए, राव फेब्रिकेशन गौरवपथ रोड वार्ड 20 सामान फैलाकर व्यवसाय करने वाले को समझाइश दी गई, श्रीराम टेडर्स जवाहर नगर वार्ड 14 के पास गुमास्ता लाईसेंस नहीं होने पर 4000 रूपए वसूल किया!

जनसम्पर्क अधिकारी